

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....<sup>30</sup> /  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक<sup>08</sup> /02/2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/979 (NDPS)/III-6-3/89 जबलपुर दिनांक-07.02.2025 के द्वारा श्री संदीप श्रीवास्तव पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को NDPS Act 1985 (61 of 1985) से संबंधित प्रकरणों एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/981/III-6-4/10 जबलपुर दिनांक-07.02.2025 के द्वारा श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) से संबंधित प्रकरणों की सनुवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/979 (NDPS)/III-6-3/89 जबलपुर दिनांक-07.02.2025 एवं अधिसूचना क्रमांक-सी/981/III-6-4/10 जबलपुर दिनांक-07.02.2025 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार दांडिक प्रकरण को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर्शीवाद भिलाला, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	NDPS Act Case No-1 to 349 MJCR/UNCR No-01 to 64	श्री संदीप श्रीवास्तव, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
		SC DOCT Case No-01 to 24 MJCR Case No-01 to 12	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

*Sd/-*  
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)


**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)**

पृष्ठांकन क्र०.....71...../  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ४/02/2025

**प्रतिलिपि:-**

1. द्वितीय/पंचम/षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
- ✓ 4. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)